

Ms. Mehra

30/9/2020


राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

क्रमांक प.20(1)अल्प.वक्फ/2014/RK/

जयपुर, दिनांक: 21.09.2020

:- आज्ञा :-

केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 (यथा संशोधित) की धारा-83(4)(c) के क्रम में राजस्थान राजपत्र में विशेषांक दिनांक 23 मई, 2014 में प्रकाशित राज्य सरकार की अधिसूचना के बिन्दु संख्या-3 में उल्लेखित श्रेणी के अन्तर्गत श्री शमीम अहमद कुरैशी, एडवोकेट को राजस्थान वक्फ अधिकरण में तीन वर्ष हेतु एतद्वारा सदस्य मनोनीत किया जाता है।




(मूल चन्द)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव (एस.ए.के), कार्यालय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. अवर सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, मा0 पीठासीन अधिकारी, राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर।
11. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स, जयपुर।
14. सम्पदा अधिकारी, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जयपुर।
15. नोडल अधिकारी (वेबसाइट), राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जयपुर को भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
16. श्री शमीम अहमद कुरैशी, सदस्य, राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर।



(रमेश चन्द परेवा)

सहायक शासन सचिव